



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-200

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 278414 दिनांक 20/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Arun Kumar Goyal S/o SHYAM SUNDAR GOYAL	श्रीमती सुशीला देवी शर्मा पत्नी श्री हरिश चंद शर्मा	180	90.00 SQ. METER	JDA	MAHAL YOJANA-D Sector/Block-	Name Transfer	जविप्रा की योजना महल डी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या डी-180 क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर की लीजडीड श्रीमती सुशीला देवी शर्मा पत्नी श्री हरिश चंद शर्मा के नाम से दिनांक 7.9.06 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्रीमती सुशीला देवी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2024 के द्वारा श्री घनश्याम जसवानी पुत्र श्री सेवकराम जसवानी को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री घनश्याम जसवानी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.2025 के द्वारा श्री अरूण कुमार गोयल पुत्र श्री श्याम सुन्दर गोयल को कर दिया गया। आवेदक श्री अरूण कुमार गोयल द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।
---	---	---	-----	--------------------	-----	--	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Arun Kumar Goyal S/o SHYAM SUNDAR GOYAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |